

हवाई किराये के संवितरण के लिए विदेशी मुद्रा एजेंसी के चयन के संबंध में 20.8.2024 को आयोजित बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दे और उनके उत्तर इस प्रकार हैं:

क्रमांक	उठाए गए प्रश्न	एपीडा का जवाब
1.	ईएमडी राशि को 10,000 रुपये तक हटाया या घटाया जा सकता है।	सहमत। कृपया परिशिष्ट का संदर्भ लें।
2.	चयनित एजेंसी को 80-90% तक की अग्रिम राशि दी जाए क्योंकि उन्हें आरबीआई/अन्य संसाधनों से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होगी।	जीएफआर के नियम 172(1) के अनुसार, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए चयनित एजेंसी को लगभग 2.00 करोड़ रुपये का 30% अग्रिम जारी किया जाएगा।
3.	विदेशी मुद्रा एजेंसी नेपाल और भूटान के सहभागियों को भारतीय रुपए में भुगतान जारी करेगी।	एपीडा रुपए में भुगतान की प्रतिपूर्ति करेगा।
4.	भारतीय पासपोर्ट धारक को विदेशी मुद्रा जारी की जाएगी।	
5.	संवितरण के दिन विदेशी मुद्रा दर और क्रॉस करेंसी दर वसूल की जाएगी।	सहमत।
6.	दस्तावेजों के सत्यापन और भुगतान जारी करने के लिए कम से कम दो एपीडा अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता होगी।	भुगतान जारी करने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए दो एपीडा अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
7.	एपीडा को कार्यालय सेट अप जैसे टेबल कुर्सी, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, वाई-फाई कनेक्शन, एक सुरक्षा गार्ड और दो अटेंडेंट उपलब्ध कराने होंगे।	कार्यालय सेट-अप उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति एजेंसी द्वारा की जाएगी।

बोलियों का मूल्यांकन क्यूसीबीएस (गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन मानदंड) के अनुसार किया जाएगा। टीओआर में संशोधन परिशिष्ट में दिए गए हैं।

दिनांक 20/08/2024 की बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट

19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा द्वारा आयोजित किए जा रहे आरबीएसएम में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को हवाई यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु टीओआर में संशोधन

(1) टीओआर के पैरा 4.1 को संशोधित कर निम्न प्रकार किया जा सकता है:

(क) "भाग लेने वाली विदेशी मुद्रा एजेंसी को नई दिल्ली में देय " एपीडा" के पक्ष में आहरित 10,000/- रुपए (दस हजार रुपये मात्र) डीडी के रूप में ब्याज-मुक्त बयाना जमाराशि (ईएमडी) जमा करना होगा। असफल एजेंसियों से प्राप्त ईएमडी को एजेंसी के चयन के बाद उन्हें वापस कर दिया जाएगा। **सफल एजेंसी से प्राप्त ईएमडी को कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा** और एजेंसी को अंतिम बकाया राशि के भुगतान के बाद वापस कर दिया जाएगा।"

(ख) बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा - पहला , तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अंकन का मानदंड निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रस्तुति के आधार पर होगा:

क्रमांक	क्षेत्र	अधिकतम अंक	
I.	संवितरण/प्रतिपूर्ति के लिए एसओपी	40	
II.	थोक संवितरण के लिए मुद्राओं का स्टॉक करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा आयात लाइसेंस प्राप्त करना	10	
III.	वर्तमान कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	10	
IV.	पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा व्यापार से एजेंसी का वार्षिक कारोबार। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा , न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। अंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:		5
	क. 4-6 करोड़ रु.	4 अंक	
	ख. 6 करोड़ रु.से अधिक	5 अंक	
V.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के दौरान इसी प्रकार के कार्य निष्पादन का अनुभव। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:		5
	क. 4-6 इवेंट्स	4 अंक	
	ख. 6 इवेंट्स से अधिक	5 अंक	

(क) बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए , एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

(ख) सभी प्रस्तुतियों पर अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुति में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद केवल उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 30 अंक होंगे।

(ग) चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के आधार पर किया जाएगा। गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित पद्धति के अनुसार होगा:

L1 = 30 अंक

L2 = 30 X L1 (L1 द्वारा उद्धृत लागत)/L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और इसी प्रकार L3, L4 आदि के लिए (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

(घ) वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ दिया जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

(2) टीओआर के पैरा 6 को संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए:

“मुहरबंद कोटेशन को अनुलग्नक-1, 2 और 3 (संलग्न) के अनुसार एक लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए, जिस पर “19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा द्वारा आयोजित किए जा रहे रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को हवाई यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु बोली” लिखा हो” जिसे 23 अगस्त 2024 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे तक निम्नलिखित पते पर जमा किया जाएगा:

सचिव,

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा) तृतीय तल, एनसीयूआई बिल्डिंग,

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

"19 से 22 सितंबर, 2024 तक होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा द्वारा आयोजित किए जा रहे रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को हवाई यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु बोली"

क्रमांक	विवरण	ब्योरा	पृष्ठ सं.
1	एजेंसी का नाम और पता		
2	जीएसटी पंजीकरण के अनुसार पता (दस्तावेज भी संलग्न करें)		
3	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल हो (कृपया प्राधिकरण पत्र संलग्न करें)		
4	एजेंसी का जीएसटी प्रमाणपत्र (कृपया प्रति संलग्न करें)		
5	एजेंसी का पैन कार्ड (कृपया प्रति संलग्न करें)		
6	वेतन पर कर्मचारियों की संख्या सहित विदेशी मुद्रा एजेंसी का विस्तृत विवरण		
7	विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइसेंस/प्राधिकरण की प्रति		
8	विदेशी मुद्रा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव		
9	एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) के ब्याज मुक्त बयाना जमा-राशि "ईएमडी" के लिए डिमांड ड्राफ्ट / अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक गारंटी का विवरण।		
10	स्व-घोषणा जिसमें उल्लेख हो कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है		

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और कुछ भी गुप्त नहीं रखा गया है। मैं बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या विकृत की है या एपीडा के हित के विरुद्ध कोई कार्य या चूक की है, तो मेरा अनुबंध बिना किसी सूचना के तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम)
कंपनी की मुहर:

दिनांक:

स्थान:

ई-मेल आईडी:

मोबाइल नं.:

अनुलग्नक -2

"19 से 22 सितंबर, 2024 तक होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा द्वारा आयोजित किए जा रहे रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को हवाई यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु वित्तीय बोली"

क्रमांक	गतिविधि/ घटक	राशि रु. में	जीएसटी (%)
1	सेवा शुल्क		
2	यूएसडी पर विनिमय प्रीमियम (रुपये में)		
3	उपरोक्त (1) एवं (2) का योग		

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम
कंपनी की मुहर

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक-2

(एजेंसी के लेटर हेड पर उपलब्ध कराया जाए)

"19 से 22 सितंबर, 2024 तक होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में एपीडा द्वारा आयोजित किए जा रहे रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को हवाई यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु बोली"

सचिव,
एपीडा,
नई दिल्ली - 110016

विषय: ब्लैक लिस्ट में न होने की घोषणा

महोदय,

उपरोक्त विषय पर बोली के संदर्भ में , मैं, (हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम) एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करता/करती हूं कि मैसर्स ... (एजेंसी का नाम) को बोली प्रस्तुत करने की तिथि तक असंतोषजनक प्रदर्शन , भ्रष्ट, धोखाधड़ी या किसी अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं या किसी अन्य कारणों से भविष्य की बोलियों में भाग लेने से केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम)

कंपनी की मुहर:

तिथि:

स्थान:

*किसी भी भांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।